कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1750 / 12-1 :देहरादून:दिनांक:30-12 ~~नवम्बर~~, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21140/2016)।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/118/2018/ एफ0सी0/1400 दिनांक– 29.09.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1445/12–1 (2) दिनांक 16.12.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.04 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुन्थाड़ी (द्वारहाट) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग लोक निर्माण विभाग की लागत पर 5.04 है0 सिविल भूमि ग्राम कुन्थाड़ी तहसील द्वाराहाट में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया जाएगा।
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित ~~किया जाएगा~~। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं ~~[illegible]~~ Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम कुन्थाड़ी, तहसील द्वाराहाट की 5.04 है0 सिविल भूमि का वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया है। म्यूटेशन आदेश व खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि के आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुन्थाड़ी की 5.04 है0 सिविल भूमि को किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया है, का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो तक रख रखाव योजना हेतु रू 16,99,407.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP © संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.20023, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.2731 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की शुद्ध वर्तमान धनराशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में I.A नवंर 556 दिनांक 30.10.2002, 10.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (D+2) दिनांक 18.09.203 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5/3–2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार योजना हेतु 2.52 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन0पी0वी0 कुल रू 16,55,640.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 दरों में उच्च स्तर से वृद्धि होती है तो बढी हुई दर से एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोत्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों का कटान प्रस्ताव अनुसार वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा। वृक्षों का कटान/छपान राज्य वन विभाग में जमा करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7.	State Government will inform to this office if they any order for tree cutting and commencement of work stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no fast activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of permission.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को वृक्षों के पातन हेतु जो भी निर्देश दिया जाएगा। विभाग को मान्य होगा। राज्य सरकार की गाईड लाईन पैरा 11.2 के अनुसार कार्यवाही जी जाएगी।
8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त धनराशि ई पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण कोष योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित कर जमा किया जायेगा।
9.	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से निर्धारित प्रमाण

		पत्र से किया गया है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की बढाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आई.आर.सी. मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों उसके बीचों वीच पौधारोपण किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये जायेंगे।
12.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास की कार्यवाही की जायेगी।
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उक्त योजना में लागू नहीं है।
14.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं वदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के बिना प्रस्ताव ले–आउट नहीं बदला जायेगा।
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसमी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषता वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
17.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को विभाग द्वारा परियोजना की लागत पर सीमांकन किया जाएगा।
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए निर्माण सामग्री के परिहवन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही वनाया जाएगा।
19.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग को योजना के अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि व परियोजना की पूर्ण अवधि में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गयी है।
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग वन भूमि उपयोग परियोजना के प्रस्ताव विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना मोटर मार्ग हेतु प्रत्यावर्तन वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य विभाग व अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
22.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ.सी. दिनांक 29.01.208 के अनुसार वन अधिनियम 1980 के अनुसार उलंघन होने

	अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावक विभाग पर कार्यवाही की जाएगी, जो विभाग को मान्य होगी।
23.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–सयम पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते मान्य होगी।
24.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।
25.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग को सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति लेना मान्य होगा।
24.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1750 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

323

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 281 / 36सी

दिनांक रानीखेत 05/02 ,2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी./यू. सी.पी./06/118/2018/एफ.सी./1400 दिनांक 29.09.2023।
(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21140/2016)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	लोक निर्माण विभाग को परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.04 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुन्थाड़ी (द्वारहाट) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	वन विभाग लोक निर्माण विभाग की लागत पर 5.04 है0 सिविल भूमि ग्राम कुन्थाड़ी तहसील द्वाराहाट में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मे स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया जाएगा।
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम कुन्थाड़ी, तहसील द्वाराहाट की 5.04 है0 सिविल भूमि का वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया है। म्यूटेशन आदेश व खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुन्थाड़ी की 5.04 है0 सिविल भूमि को किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया है, का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन कर क्षतिपूरक वृक्षारोपाण की 10 वर्षो तक रख रखाव योजना हेतु रू 1699407.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP © संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.20023, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.2731 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की शुद्ध वर्तमान धनराशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में I.A नबंर 556 दिनांक 30.10.2002, 10.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (D+2) दिनांक 18.09.203 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5/3–2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार योजना हेतु 2.52 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन0पी0वी0 कुल रू 1655640.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 दरों में उच्च स्तर से वृद्धि होती है तो बढी हुई दर से एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। शपथ पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार trees हागी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोत्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों का कटान प्रस्ताव अनुसार वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा। वृक्षों का कटान/छपान राज्य वन विभाग में जमा करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7.	State Government will inform to this office if they any order for tree cutting and commencement of work stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no fast activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of permission.	राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को वृक्षों के पातन हेतु जो भी निर्देश दिया जाएगा। विभाग को मान्य होगा। राज्य सरकार की गाईड लाईन पैरा 11.2 के अनुसार कार्यवाही जी जाएगी।
8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त धनराशि ई पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण कोष योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित कर जमा किया जायेगा।
9.	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी महोदय से निर्धारित प्रमाण पत्र से किया गया है।

क्रमशः पेज–3 पर

Scanned with OKEN Scanner

10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की बढाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा आई.आर.सी. मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों उसके बीचों बीच पौधारोपण किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लोक निर्गाण विभाग द्वारा लगाये जायेंगे।
12.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास की कार्यवाही की जायेगी।
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उक्त योजना में लागू नहीं है।
14.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के बिना प्रस्ताव ले–आउट नहीं बदला जायेगा।
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसमी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषता वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
17.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को विभाग द्वारा परियोजना की लागत पर सीमांकन किया जाएगा।
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए निर्माण सामग्री के परिहवन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।
19.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग को योजना के अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि व परियोजना की पूर्ण अवधि में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गयी है।
20.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग वन भूमि उपयोग परियोजना के प्रस्ताव विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना मोटर मार्ग हेतु प्रत्यावर्तन वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य विभाग व अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
22.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ.सी. दिनांक 29.01.208 के अनुसार वन अधिनियम 1980 के अनुसार उलंघन होने पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावक विभाग पर कार्यवाही की जाएगी, जो विभाग को मान्य होगी।
23.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–सयम पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	लोक निर्माण विभाग को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते मान्य होगी।
24.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।

क्रमशः पेज–4 पर

Scanned with OKEN Scanner

25.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	लोक निर्माण विभाग को सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति लेना मान्य होगा।
24.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 289 /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Scanned with OKEN Scanner

, देहरादून–248001
–2650809
–2653010
moef.ddn@gov.in

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

8बी./यू.सी.पी./06/118/2018/एफ.सी./1600 दिनांक: 29/09/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग–तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/21140/2016)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 712/1जी–FP/UK/ROAD/21140/2016 दिनांक 11-09-2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/21140/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 22.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – **अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग–तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.04 है0 सिविल सोयम भूमि कुन्थाड़ी (द्वाराहाट) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.52 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसा
trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग
पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of wo
stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no
activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of
permission.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित
जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की
बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण सं
क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावर
स्वीकृति प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी
अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि प
सीमांकन किया जाएगा।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या
मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथव
परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं कि
जाएगा।

21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसि
विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जल
परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर का
होगी।

23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय
निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

24. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अ
प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो
तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भव

(टी0 सी0 नौटि
उप महानिरीक्षक, वन

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबा
अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 न
उप महानिरीक्षक,

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21140/2015)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 दरों में उच्च स्तर से वृद्धि होती है तो बढी हुई दर से एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभा·
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/21140/2015**)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आई.आर.सी. मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों में उनके बीचो–बीच पौधारोपण किया जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभा रानीखेत

Ameen

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21140/2015)।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लायी गयी ग्राम कुन्थाड़ी, तहसील द्वाराहाट की 5.04 है0 सिविल भूमि का पूर्व में किसी भी अन्य योजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

	247/2019 rt.aspx? UK/ROAD/39247/2019) onstruction of Era Jorasi motor road	ROAD392472019693	6139247693	21 Jun 2021	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 635648/- , plantation of 100 trees : 146400/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 782048/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Feb 2022 Transaction Date : 21 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/160220221241546767_FPUKROAD39 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAI
8	FP/UK/ROAD/21140/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/21140/2016) Sahid Hari Singh Tuolbudhand to Ratkhal Motor Road Sanction Under CM Ghosana no. 492/201	ROAD211402016526	6121140526	29 Sep 2020	CA: 1699407/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1655640/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3355047/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Oct 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Oct 2021 Transaction Date : 16 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/131020211324170925_FPUKROAD21 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAI
9	FP/UK/ROAD/34843/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34843/2018) Construction of 72 m span motor bridge over River Kosi in Era Jorasi Motor Road.	ROAD348432018109	6134843109	21 Jan 2021	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 392229/- , Plantation scheme for plantation of 100 trees : 133100/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 525329/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Oct 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Dec 2021 Transaction Date : 16 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/131020211314186472_FPUKROAD34 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAI
10	FP/UK/ROAD/10159/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10159/2015) Construction of Kuloli Munra Devikhal Motor Road	ROAD101592015203	6110159203	30 Dec 2016	CA: 1794603/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2115540/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3910143/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Mar 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 03 Mar 2019 Transaction Date : 12 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211231258121023TEI Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=I
11	FP/UK/ROAD/16103/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16103/2015) Extension of Ganiadoli Tana Vishalkote motor road via Taraswar, Kothiya and Doni.	ROAD161032015409	6116103409	22 Jan 2018	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 591300/- , Cost of plantation of 10 times of trees affected b : 990000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1581300/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Nov 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 26 Jan 2019 Transaction Date : 13 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111512541215VMS1 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=I

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी

फसली–

ग्राम– कुन्धाड़ी   पटवारी क्षेत्र, मल्ली मिरई   तहसील–द्वाराहाट,   जिला–अल्मोड़ा।

श्रेणी– ९(३)ड – बंजर काबिल आबाद

खाता संख्या	नाम खातेदार	फ0	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
01	02	03	04	05	06	07 से 13
17/43	बंजर का0 आबाद		1	0.903		जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0 2152/ग्यारह-09/2023-24 दिनांक 03 जनवरी 2024 से ग्राम – कुन्धाड़ी रा0उ0नि0 क्षेत्र मल्ली मिरई के गैर ज0वि0 ख0 खाता सं0 17/43 श्रेणी ९(३)ड0 बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 177 मध्ये 0.520 हे0 खेत सं0 179 मध्ये 0.570 हे0 खेत सं0 184 0.069 हे0 खेत सं0 273 मध्ये 0.190 हे0 खेत सं0 198 मध्ये 0.320 हे0 खेत नं0 209 मध्ये 1.754 हे0, खेत नं0 225 मध्ये 0.418 हे0 खेत नं0 714 मध्ये 1.199 हे0 कुल 5.040 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित। नामान्तरित की,
			2	0.935		
			3	0.501		
			क्रमशः			
			177	0.585		
			179	0.631		
			184	0.069		
			186	0.021		
			189	0.055		
			198	0.379		
			201	0.010		
			209	1.941		
			225	0.468		
			273	0.190		
			क्रमशः	क्रमशः		
			711	0.023		
			714	1.399		
			716	0.006		
			क्रमशः	क्रमशः		
			2208	0.029		
			2214	1.333		
			2215	0.310		
			2221	0.018		
			2235	0.239		
			2259	0.434		
	योग		516	72.713		

ह0 अ0
राजस्व उपनिरीक्षक
मल्ली मिरई

छायाप्रति सत्यापित

महोदय, नकल खतौनी तैयार की
राजस्व उपनिरीक्षक

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग– तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.52 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.04 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत के अनुरोध के कम में उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अपने पत्र संख्या 402/एस0टी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2023, दिनांक 09 जनवरी,2023 एवं पत्र संख्या 05/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2023 दिनांक 31–10–2023 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, खतौनी,खसरा एवं नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/118/2018/एफ.सी./1400 दिनांक 29–09–2020 के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुन्थारी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र मल्ली मिरई, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 17/43 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 177 मध्ये 0.520 है0, खेत नं0 179 मध्ये 0.570 है0, खेत नं0 184 मध्ये 0.069 है0, खेत नं0 273 मध्ये 0.190 है0, खेत नं0 198 मध्ये 0.320 है0, खेत नं0 209 मध्ये 1.754 है0, खेत नं0 225 मध्ये 0.418 है0, खेत नं0 714 मध्ये 1.199 है0 इस प्रकार कुल 5.040 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, द्वाराहाट तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 03 जनवरी,2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–2152 /ग्यारह– 09 /2023–24 दिनांकः 03 जनवरी,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, द्वाराहाट।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत ... मोटर मार्ग से ... तक मोटर मार्ग 5.625 कि०मी०

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम ...
तहसील स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ... परियोजना के निर्माण हेतु (2.160 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.180 हे0 सिविल सोयम भूमि— हे0, वन पंचायत भूमि 0.180 हे0) अर्थात कुल 2.520 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ... द्वारा दिनांक.......... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम ...
विकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/—
ग्राम प्रधान

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र-23.1

दिनांक ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....[illegible]....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

ह0/ [illegible] देवी
ग्राम प्रधान

छायाप्रति सत्यापित

परियोजना का नाम :– [illegible] प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग (2.160 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.180 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.180 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.520 हे0 वन भूमि) का [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक [illegible] को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] ——उपजिलाधिकारी स्याल्दे / [illegible] ——अध्यक्ष
2– श्री [illegible] ——उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत ——सदस्य
3– श्री [illegible] ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे ——सदस्य / सचिव
4– श्री [illegible] ——जी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

[illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण ——परियोजना हेतु 2.520 हे0 वन भूमि

[illegible] निर्माण विभाग

रानीखेत —— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

छायाप्रति सत्यापित

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 0.220 हे० वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— [illegible]
जनपद [illegible]

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— [illegible]
जनपद [illegible]

छायाप्रति सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :–

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद........... के अन्तर्गत प्रस्तावित .... परियोजना के निर्माण हेतु ....है0 वन भूमि .... (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0/केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी

छायाप्रति सत्यापित

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal..., I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...22-7-2016......at time...............at Almora in which application claiming rights of.....................area measuring 2.5.20.hect. for the Construction of motor Road From Taulbhudhani to Ratkhal forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

It is further certified that

S.N.		Ramarks
(a)	The complete process for identification settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.205..het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) fo the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers There is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Encl : As above

Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– जनपद-अल्मोड़ा में शहीद हरीसिंह के ग्राम तौलबुधानी से डलखाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 22-7-016 के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.520 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी

छायाप्रति सत्यापित

Scanned with OKEN Scanner

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.. **Dated:...............**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...2.520...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction...Shahid Mani Singh village Toukhudhani to Ratkhal Motor Road...

(Purpose for diversion of forest land) in...Almora...district falls within jurisdiction of...Toukhudhani...village(s) in...Syalde...Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire...2.520...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–21140 / 2016)

प्रमाणित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम कुन्थाड़ी, तहसील द्वाराहाट की 5.04 है0 सिविल भूमि को किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner